66

संख्या– /XXII/2014–16(10)2010

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सूचना अनुभाग देहरादून : दिनांक 03 ~~फरवरी~~ मार्च, 2014

विषय :– **राजस्व ग्राम, दूतीबगड़, तहसील–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़ में स्थित सूचना विभाग की 0.033 हैक्टेयर भूमि को राजी जनजाति के कल्याणार्थ कार्य कर रही संस्था राजी जनजाति कल्याण समिति, किमखौला जौलजीवी को पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–12/XXII/2014–16(10)2010, दिनांक 25 फरवरी, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजी जनजाति कल्याण समिति किमखौला जौलजीवी को राजस्व ग्राम दूतीबगड़, तहसील–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़ में स्थित सूचना विभाग की 0.033 हैक्टेयर भूमि को 30 वर्षो हेतु पट्टे पर दिया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''विलुप्त राजी जनजाति कल्याण समिति किमखोला'' को राजस्व विभाग द्वारा दी गई अनापत्ति के दृष्टिगत पट्टे पर आवंटित भूमि क्षेत्रफल 0.033 हेक्टेयर के लिये नियमानुसार जमा की जाने वाली धनराशि ₹ 421500.00 को माफ करते हुये सांकेतिक/टोकन के रूप में भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत नजराने की दर से धनराशि ₹ 42150.00 तथा लगान 100 प्रतिशत धनराशि ₹ 3000.00 कुल धनराशि ₹ 45150.00 (रूपये पैतालिस हजार एक सौ पचास मात्र) लिये जाने तथा प्रश्नगत भूमि के आवंटन की तिथि से भूउपयोग/निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने के प्रावधान/शर्त में 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– शासनादेश संख्या–12/XXII/2014–16(10)2010, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को उक्त सीमा तक ही संशोधित माना जाय। शासनादेश के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–76 (1)/XXII/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, विलुप्त राजी जनजाति कल्याण समिति, ग्राम किमखौला, पो0–जौलजीवी तहसील धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़।
5. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़।
6. एन.आई.सी, सचिवालय परिसर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।